11.01.22 पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज दिलाई गई न अधिवक्ता अपीलान्ट और न अपीलान्ट स्वयं उपस्थित हुए। अत: पत्रावली अदम हाजरी, अदम पैरवी मे खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे, बादजाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

[illegible] अधिकारी,
एवं
[illegible] अपील प्राधिकारी
[illegible]